



जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा जिला - सुकमा (छ.ग.)



Email Id- cssda.sukma@gmail.com

Office Phone No. 07864-284018,

क्रमांक / 14.99 / DPLCS. / 2017-18

सुकमा, दिनांक 21 / 12 / 2017

:-संशोधित रुचि की अभिव्यक्ति :-

लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में विभिन्न MES कोर्सेस में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों/ईकाईयों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। दिनांक 30/12/2017 तक चेयरमैन लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा के कार्यालय में DETAILED PROJECT DESCRIPTION WITH TECHNICAL AND FINANCIAL PROPOSAL सीलबंद जमा की जा सकती है, एवं दिनांक 30/12/2017 समय 3:00 बजे अपराह्न समिति के समक्ष संस्था को Power point presentation देना अनिवार्य होगा।

कोर्स का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०	कोर्स का नाम	कोर्स कोड
1	Repair & Overhauling of 2 wheelers & 3 wheeler	AUR705
2	Driver cum Mechanic	AUR703
3	LED Light Repair Technician	ELE/Q9302
4	Repair & Maintenance of Domestic Electronic Appliances	ELC701
5	Mobile Phone Hardware Repair Technician	ELE/Q8104
6	Assistant Plumber	CON705
7	Bar Bender and Steel Fixer	CON/Q0203
8	Repair and maintenance of Window and Split A.C	REF706
9	Cook (Indian Cuisine)	HOS703
10	Carpenter Wooden Furniture	FFS/Q0102
11	Retail Sales Associate	RAS/Q0104
12	Assistant Electrician	CON/Q0602
13	Manual Metal Arc Welding/Shielded Metal Arc Welding Welder	CSC/Q0204
14	Cultivation of vegetables	AGR223
15	Computer Hardware Assistant	ICT703
16	DTP and Print Publishing Assistant	ICT702
17	Solar Panel Installation Technician	ELE/Q5901

Chhavi Chhavi

डायरेक्टर

लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा
जिला - सुकमा (छ.ग.)



जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा जिला - सुकमा (छ.ग.)



Email Id- cssda.sukma@gmail.com

Office Phone No. 07864-284018,

क्रमांक / L.S.C.L / DPLCS / 2017-18

सुकमा, दिनांक 21.12.2017

लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में प्रशिक्षण कराने हेतु नियम एवं शर्त :-

1. प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण SDI एवं MMKVY योजना अन्तर्गत निर्धारित गाईडलाईन्स के अनुरूप प्रशिक्षण कराना होगा ।
2. प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का मोबलाईजेशन स्वयं संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. प्रशिक्षण पूर्व TBN एवं ABN स्वयं संस्था द्वारा किया जावेगा एवं प्रशिक्षण उपरान्त CSSDA सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा ।
4. संस्था का VTP पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
5. संस्था द्वारा MES कोर्स आधारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा ।
6. संस्था को प्रस्ताव दो पृथक लिफाफों में जमा करना होगा, प्रथम लिफाफा में संस्था को **DETAILED PROJECT DESCRIPTION** एवं संस्था द्वारा विभिन्न दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा । द्वितीय लिफाफा में **FINANCIAL PROPOSAL** संस्था द्वारा सीलबंद जमा की जावेगी ।
7. समिति द्वारा चयनित संस्था को प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्वक प्रदाय किया जाना होगा । अगर संस्था द्वारा प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्वक नहीं पाये जाने पर संस्था का कार्यादेश किसी भी समय निरस्त कर भुगतान की गई राशि की Recovery किया जावेगा । इसका जवाबदारी स्वयं संस्था की होगी ।
8. प्रशिक्षण हेतु संस्था द्वारा स्वयं का प्रशिक्षण लेब स्थापित कराना अनिवार्य होगा । इसके लिए संस्था को पृथक से लेब स्थापना हेतु राशि प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
9. प्रस्ताव ऐसे एजेंसी या फर्म जिन्हे इस कार्य का पूर्व अनुभव हो ,को प्राथमिकता दी जावेगी ।
10. डायरेक्टर लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
11. संस्था को प्रस्ताव के साथ power point presentation देना अनिवार्य होगा ।
12. शर्त व ओवर राइटिंग प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।
13. प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को किट, टूल्स, उपकरण आदि के वितरण आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
14. संस्था को प्रशिक्षण उपरान्त हितग्राहियों का प्लेसमेंट कराना अनिवार्य होगा । अतः उन्हे PowerPoint Presentation के दौरान प्रशिक्षण उपरान्त प्लेसमेंट हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा ।
15. लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा के पास जब प्रशिक्षण संबंधित कार्य आबंटन होगा तभी संबंधित संस्था को संपर्क कर कार्य दिया जावेगा । प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण कराना संबंधित संस्था की मौलिक जिम्मेदारी होगी ।
16. संस्था को प्रशिक्षण पूर्व निर्धारित अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा ।

17. प्रत्येक संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेन्डेस प्रणाली का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
18. MES कोर्सेस जिले के अनुरूप प्रसारित किये जावेंगे जिन्हे समय समय पर बदला जा सकता है।
19. प्राप्त प्रस्ताव में दर्शित दर में संशोधन भी कराया जा सकता है।
20. प्राप्त प्रस्ताव जिले के आवश्यकता अनुरूप गठित समिति के द्वारा उचित प्रतिक्रिया होने के उपरान्त ही दर्शाए गए विभिन्न कोर्स से चयन कर संस्था को कार्यदेश दिया जावेगा ।
21. डायरेक्टर, लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा न्यूनतम निविदा स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त अथवा अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर जिला सुकमा या डायरेक्टर लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा को होगा एवं ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

@hshuue २११२१७

डायरेक्टर

लाईवलीहुड कॉलेज सुकमा
जिला - सुकमा (छ.ग.)